# लाख टके का जवाब
## म्यूचुअल फंड

**अमित सूरी**
चीफ फाइनेंशियल प्लानर,
एयूएम फाइनेंशियल प्लानर्स

हमारे विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, टैक्स जैसे मुद्दों पर आपकी राह आसान करेंगे। आप सवाल **ethindiquery@gmail.com** पर भेज सकते हैं

**प्र मेरे पास ओरिएंटल की मेडिक्लेम पॉलिसी है। नवंबर 2004 में मैंने हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम किया। मुझे सलाह दी गई कि चेकअप पर खर्च हुई रकम तभी वापस की जाती है जब आप इसे हर चार साल में कराते हैं। मई 2007 में मुझे बायपास सर्जरी करानी पड़ी थी और मैंने पॉलिसी के तहत क्लेम किया। सितंबर 2010 में मैंने हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम किया। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मैंने साल 2007 में इलाज के खर्च का दावा कर लिया है। क्या बीमा कंपनी ऐसा कर सकती है?**

पद्म चंद गुप्ता

उ मेडिकल चेकअप के बाद क्लेम तभी माना जाता है जब आप लगातार चार साल तक बीमा जारी रखें। इस बीच आप इलाज के किसी खर्च के लिए क्लेम न करें। इसके तहत चार साल के एक ब्लॉक में आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अगर इलाज खर्च का क्लेम नहीं करता तो आप चेकअप की रकम के लिए दावा कर सकते हैं।

**प्र मैंने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की एक लाख रुपए की पॉलिसी ली है जिसमें 25,000 रुपए बोनस के रूप में मिले हैं। मैं स्लिप डिस्क की वजह से करीब 15 दिनों तक अस्पताल में रहा। जब मैंने बीमा कंपनी से इस बारे में क्लेम के लिए संपर्क किया तो मुझे कहा गया कि आपको सिर्फ सात दिन के लिए ही अस्पताल का खर्च मिलेगा। बीमा कंपनी का कहना है कि इस बीमारी में सात दिन के लिए ही अस्पताल खर्च का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद बीमा कंपनी ने सात दिन के खर्च के अलावा दावा की गई रकम खारिज कर दी। इसके बाद मेरे डॉक्टर ने बीमा कंपनी को लिखकर दिया कि इस तरह की बीमारी में लंबे समय तक अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बीमा कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब मुझे क्या करना चाहिए?**

मोहन अय्यर

उ आपको स्वास्थ्य बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में इस बारे में एक पत्र भेजना चाहिए। इसमें आप अस्पताल में दाखिल होने की वजह, स्वीकृत किया गया क्लेम, खारिज किए गए क्लेम के बारे में, टीपीए द्वारा क्लेम खारिज करने की वजह और आपके डॉक्टर के विचार को भेजना चाहिए। अगर आपको उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप अपनी शिकायत इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भेज सकते हैं। अगर यहां से भी जवाब नहीं मिले तो आप कंज्यूमर कोर्ट की मदद ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पहले प्रयास में ही सफलता पा सकते हैं।

**प्र** मैंने दिसंबर 2009 में 28 लाख रुपए का होम लोन लिया। इसके साथ ही मैंने उसी ग्रुप से होम इंश्योरेंस भी लिया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि लोन अमाउंट के लिए टर्म इंश्योरेंस बेहतर विकल्प है, बजाय होम इंश्योरेंस के। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपना होम इंश्योरेंस सरेंडर कर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूं?

**कैलाश मेनन**

**उ** होम इंश्योरेंस प्लान में आपके घर के साथ परिवार को भी सुरक्षा मिलती है। इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके निधन के बाद परिवार को इसमें सुरक्षा नहीं मिल पाती। अब आप एक होम इंश्योरेंस प्लान ले चुके हैं जिसमें आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है, अब आपको परिवार की अन्य जरूरतों के लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए।

**प्र** मैं एक एनआरआई हूं और पिछले तीन साल से सिंगापुर में रह रहा हूं। क्या मैं भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों से प्योर टर्म प्लान खरीद सकता हूं?

**प्रदीप पांडे**

**उ** प्योर टर्म प्लान के साथ ही कोई अन्य इंश्योरेंस प्लान खरीदने के लिए एनआरआई आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रीमियम का भुगतान भारतीय मुद्रा में होगा और इंश्योरेंस के आवेदन के वक्त पॉलिसी होल्डर भारत में रहे।